FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

राजुराम चौधरी बनाम मदाराम कोत

किस्म मुकदमा 111, 128 RLR Act नं. 17/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/01/21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री श्यामाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/02/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	366 27/01/2021
17/2/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील होकर तामील शुदा। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 22/03/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/03/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रा[illegible] नोटिस तामील शुदा [illegible] पत्रावली [illegible] पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 06/08/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:25:33 IST
Reason: SelfAttested

06/08/2021 — प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल ईलतवा होकर आगामी दिनांक - 03/12/2021 को पेश हो।

03/12/2021 — प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान - 2021 में व्यस्त होने से मिसल ईलतवा होकर आगामी दिनांक 24/12/2021 को पेश हो।

24/12/2021 — प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेत सेड़ा सेड़ आये हुए है खेतो के बिच जो पुरानी मेड़े व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिगड़ गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेड़ो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेड़ो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत के सेड़ो का सही ज्ञान करने हेतु प्रार्थी को पत्थरबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी [illegible] की पत्थरबन्दी मौके पर, कमिशन शुल्क [illegible] रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल [illegible] शामिल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:25:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1496 दिनांकः– 24/12/2021

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. राजुराम चौधरी पुत्र राणाराम वगैरा 5
जाति जाट, निवासी दर्जियो की बेरी
पटवार मण्डल लापुन्दड़ा
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. मदाराम पुत्र भगवानाराम वगैरा 18
जाति जाट, निवासी दर्जियों की बेरी
पटवार मण्डल लापुन्दड़ा
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 17 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – दर्जियों की बेरी, पटवार मण्डल – लुपन्दड़ा, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 358, 359, 626 / 361, 630 / 398 रकबा क्रमशः 0.07, 0.02, 13.15, 39.05 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु
दिनांकः– 24/12/2021

क्रमांक / वाद / 2021 / 1497 – 1501

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का लापुन्दड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री राजुराम चौधरी पुत्र राणाराम वगैरा 5
4. विप्रार्थी श्री मदाराम पुत्र भगवानाराम वगैरा 18
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:25:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु